

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/आप्रएवं सहा/COVID-19/2019/603

दिनांक 07/07/2021

प्रेषित,

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान जयपुर

विषय:-कोविड-19 के मद्देनजर आवश्यक कार्यों में सहयोग हेतु नियोजित प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को मानदेय भुगतान के संबंध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ.8(1)आ.प्र.सहा./बाढ़/2019/5603-10 दिनांक 19.04.2021

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोविड-19 वायरस के मद्देनजर कोन्टेक्ट ट्रेसिंग/चैकिंग, स्क्रीनिंग हेतु प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 15 सदस्यीय टीम को 30 जून, 2021 अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो तक नियोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों की पालना में स्वयंसेवकों की 15 सदस्यीय टीम को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 317(92) दिनांक 22.04.2021 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ कार्यालय में नियोजित किया जाकर, स्वयंसेवकों को (30 जून, 2021 तक) मानदेय भुगतान हेतु राशि रु. 6.20 लाख की मांग की गई थी।

इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक 6503-10 दिनांक 17.05.2021 से प्रदत्त निर्देशों की पालना में उक्त स्वयंसेवकों की 15 सदस्यीय टीम को दिनांक 31.05.2021 तक ही नियोजित किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	स्वयंसेवकों की संख्या	अवधि (22.04.2021 से 31.05.2021)	मानदेय हेतु आवश्यक राशि
01	15	40 दिवस	354000

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार बजट मद 2245-02-282-07-01-22 में राशि रु. 3.54 लाख आवंटित करने का श्रम कशर्वें।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी(आ.प्र.सहा.)
अति.जिला कलक्टर(भू.अ.)
चित्तौड़गढ़